रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No D. 227

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 1972/चैत्र 8, 1894

No. 168] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 1972/CHAITRA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March 1972

S.O. 235(E).—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declarations containing the names of the candidates elected in the constituencies referred to therein is published for general information—

DECLARATIONS

(1)

Bye-election to the House of the People from the 3-Diphu (ST) Parliamentary Constituency in Assam.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Biren Engti (Name)
Diphu Town, Mikir Hills (Address)

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the provisions of sub-section (3) of section 16 of the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971).

Place: Diphu
Date: 13-3-71

(Sd.) U. C. SARANIA,
Returning Officer."

(2)

Bye-election to the House of the People from the 18-Akola Parliamentary Constituency in Maharashtra.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Sathe Vasantrao Purushottam (Name)

Dhantoli, Nagpur (Address)

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Khan Mohamahd Asgar Hussain Sardarkhan having become vacant.

Place: Akola.

Date: 13th March, 1972

B. G. DESHMUMKH,
Returning Officer."

(3)

Bye-election to the House of the People from the 1-Mayurbhanj Parliamentary Constituency in Meghalya.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Shri Karnesh Marak (Name)

Village-Tura Hawakhana,

P.O. Tura, District Garo Hills (Address)

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Tura.
Date: 13-3-72

K. K. SINHA,
Returning Officer."

(4)

Bye-electinon to the House of the People from the 1-Mayurbhanj Parliamentary *Constituencf in Orissa.*

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, Rules, 1961, I declare that:—

Shri Chandra Mohan Sinha (Name)

Village Sanjoydhanposi, P.O. Badanpahad, (Address)
Distt. Mayurbhanj.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Sri Manmohan Tridu.

Place Baripada
Date: 15-3-72

(Sd.) S.K. MAHAPATRA,
Returning Officer."

(5)

Bye-election to the House of the People from the 11-Koraput Parliamentary Constituency in Orissa.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Giridhar Gomango (Name)
Village Debirisingi, P.O. Gudiabandho,
P.S. Gudari, Distt. Korapur.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Bhagirathi Gomango.

Place: Koraput
Date: 13-3-72

(Sd.)
Returning Officer."

(6)

Bye-election to the House of the People from the 4-Amritsar Parliamentary constituency in Punjab.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Raghunandan Lal Bhatia, 26, The Mall, Amritsar.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Durga Dass Bhatia having become vacant.

Place: Amritsar

Date: 14-3-1972

(Sd.)
Returning Officer."

(7)

Bye-election to the House of the People from the 8-Myurshidabad Parliamentary Constituency in West Bengal.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

Muhammed Khuda Bukhsh, (Name)
Village-Barua, P.O. Beldanga, Distt. Murshidabad.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Chowdhury Abu Taleb.

Place: Berhampore

Date: 15-3-72

(Sd.) K. P. GHOSH,
Returning Officer."

[No. F. 13(2)/72-Leg. II]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1972

का० आ० 235(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणाएं, जिनमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम दिये गये हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं—

घोषणाएं

(1)

आसाम में 3—ईफू (अ० ज०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि उत्तर

पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम), 1971 (1971 का 81) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए :—

बिरेन एंगटी (नाम)

डीफ शहर, मिकिर हिल्स । (पता)

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : डीफू (ह०) यू० सी० मारनियां,

तारीख : 13-3-71 रिटर्निंग आफिसर ।"

(2)

महाराष्ट्र में 18—अकोला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

"निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 मे अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं, घोषित करता हूं कि श्री खान मोहम्मद असगर हुसेन, सरदार खा की मृत्यु मे उस सदन मैं हुई रिक्ति को भरने के लिए —

श्री साठे बसन्तराव पुरुषोत्तम (नाम)

धनतौली, नागपुर । (पता)

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है ।

स्थान : अकोला

तारीख : 13 मार्च, 1972 (ह०) बी० जी० देशमुख,

रिटर्निंग आफिसर ।"

(3)

मेघालय में 2-तुरा (अ० ज०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

"निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबधो के अनुसरण मे, मैं घोषित करता हूं कि उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र में उस सदन में स्थान को भरने के लिए —

श्री कारनेश मरक (नाम)

गांव—तुरा हवाखाना
डाकखाना—तुरा

जिला—गारो हिल्स (पता)

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान : तुरा (ह०) के० के० सिन्हा,

तारीख : 13-3-1972 रिटर्निंग आफिसर ।"

(4)

उड़ीसा में मयूरभंज (अ० ज०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

"निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि श्री मनमोहन त्रिदु के त्याग पत्र से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए—

श्री चन्द्र मोहन सिन्हा (नाम)
गांव—मंजोएधानपोशी
डाकखाना—बदनपहाड़
जिला—मयूर भंज । (पता)

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है ।

स्थान : बारीपाड़ा
तारीख : 15-3-72

(ह०) एस० के० महापात्रा,
रिटर्निंग आफिसर ।"

(5)

उड़ीसा में 11—कोरापूट (अ० ज०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हू कि श्री भागीरथी गोमांगो के त्याग पत्र से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए —

श्री गिरिधर गोमांगो (नाम)
गांव—दैबीरीसिंगी
डाकखाना—गुडियाबांधो
पुलिस स्टेशन—गोडारी
जिल्ला—कोरापूत । (पता)

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं

ह०—
रिटर्निंग आफिसर ।"

स्थान : कोरापूत
तारीख : 13-3-72

(6)

पंजाब में 4—अमृतसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि श्री दुर्गादास भाटिया की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए :—

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया
26, दि माल, अमृतसर

सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : अमृतसर
तारीख : 14-3-1972

(ह०)
रिटर्निंग आफिसर ।'

(7)

पश्चिम बंगाल में 8—मुर्शिदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि चौधरी अबु तालब की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए :—

मोहम्मद खुदाबक्श (नाम)

गांव—बरूआ

डाकखाना—बेलडांगा

जिला—मुर्शिदाबाद । (पता)

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए ।

स्थान—बरहमपुर (ह०) के० पी० घोष,

तारीख—15-3-72 रिटर्निंग आफिसर ।"

[सं० एफ० 13(2)/72-विधायी-II]

एन० डी० पी० नम्बूदरीपाद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972